

भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देश

डॉ० जय कुमार सरोहा

एसो० प्रोफे०, राजनीति विज्ञान विभाग, शंभूदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद

| विवरण

किसी भी देश की विदेश नीति मुख्य रूप से कुछ सिद्धान्तों, हितों एवं उद्देश्यों का समूह होता है जिनके माध्यम से वह राज्य दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करके उन सिद्धान्तों की पूर्ति हेतु कार्यरत रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्यों की अपनी विदेश नीति होती है जिसके माध्यम से वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का निरूपण करते हैं। विशेष रूप से सर्वप्रथम मॉडलस्की ने इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि विदेश नीति समुदायों द्वारा विकसित उन क्रियाओं की व्यवस्था है जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को बदलने तथा उनकी गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में ढालने की कोषिष्ठ करता है। परन्तु विदेश नीति की इस प्रकार की परिभाषा को अति सरलीकरण माना जाएगा क्योंकि विदेश नीति का उद्देश्य मात्र दूसरों के व्यवहार का परिवर्तन मात्र नहीं हो सकता है। अपितु इसके माध्यम से दूसरे राज्यों की गतिविधियों का नियंत्रण करना भी अति आवश्यक होता है। इस प्रकार विदेश नीति में परिवर्तन के साथ-साथ कई बार निरंतरता की आवश्यकता भी होती है। क्योंकि विदेशी नीति परिवर्तन एवं यथास्थिति दोनों प्रकार की नीतियों का समन्वय होता है। बल्कि फेलिम्स ग्रास तो इससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं जब वे कहते हैं कि कई बार किसी राज्य के साथ कोई संबंध न होना या उसके बारे में कोई निश्चित नीति न होना भी विदेश नीति कहलाता है। इस प्रकार विदेश नीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। यह सकारात्मक रूप में जब होती है जब वह दूसरे राज्यों के व्यवहार का प्रयास करती है तथा नकारात्मक रूप में तब होती है जब वह दूसरे राज्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करती है।

संकेतशब्द: राष्ट्रहित, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, उपनिवेशवाद, गुटनिरपेक्षाता, साम्यवाद, पंचशील, संप्रभुता, अखण्डता, राष्ट्रमंडल, शीत युद्ध, सार्क, ILO, UNICEF, FAO, UNESCO, संयुक्तराष्ट्रसंघ, अलगाववाद, अहस्तक्षेप, राष्ट्र-कल्याण।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

डॉ० जय कुमार सरोहा, “भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देश”,

शोध मंथन, जून 2017,

Voll. 8, No. 2

पेज सं० 196–206

[http://anubooks.com/
?page_id=2030](http://anubooks.com/?page_id=2030)

Artcile No.32(SM439)

प्रस्तावना

विदेश नीति एवं राष्ट्रीय हितों के बीच एक गहन संबंध होता है। राष्ट्रहित विभिन्न संदर्भों में विदेश नीति हेतु आवश्यक भूमिका निभाते हैं— प्रथम, ये विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के संदर्भ में सामान्य अभिविन्यास प्रदान करते हैं। द्वितीय, ये निकट भविष्य की स्थिति में विदेश नीति को नियंत्रण करने वाले मापदण्डों का विकल्प प्रदान करते हैं। तृतीय, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को निरंतरता प्रदान करते हैं। चतुर्थ, इन्हीं के आधार पर विदेश नीति बदलते हुए अतंर्राष्ट्रीय स्वरूप में अपने आपको ढालने में सक्षम हो सकती है। पंचम, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं क्योंकि ये समाज के समन्वित एवं सर्वसम्मति पर आधारित मूल्यों की अभिव्यक्ति होते हैं। अन्ततः ये विदेशी नीति हेतु दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं।

विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हुए भी संचार के आधुनिक साधनों से निकट आ गए हैं। विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना दूसरे राष्ट्रों पर आवश्यक रूप से प्रभाव डालती है।

विश्व के सभी राष्ट्र एक—दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि वर्तमान में विश्व राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास तथा निर्माण को महत्व दिया गया है। अपने विदेश संबंधों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति की आवश्यकता होती है।

विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के अन्तर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है। इसी प्रकार विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से निर्मित होती है।

भारत की विदेश नीति:

भारत की विदेश नीति का विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सांस्कृतिक अतीत अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर—दूर स्थित देशों के साथ भी भारत मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रयत्नशील रहा है।

भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हुई हैं और इसमें प्राचीन तथा मध्ययुगीन चिन्तन शैलियों ब्रिटिश नीतियों की विरासत स्वाधीनता आंदोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच गाँधीवादी दर्शन के प्रभाव आदि का प्रभावशाली योग रहा है।

भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य:

- i- भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना।
- ii- भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
- iii- उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना।
- iv- एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना।

v. राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना ।

vi- राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना ।

vii- वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना ।

viii- प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना ।

i.- पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना ।

• संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन तथा सहयोग करना ।

भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व

1. भौगोलिक तत्व

भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में अपनी विषेश स्थिति तथा दूर-दूर तक फैली सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान है। भारतीय व्यापार तथा सुरक्षा इन्हीं पर निर्भरहै।

2. गुटनिरपेक्षता

विश्व दो गुट पूजीवाद और साम्यवाद में बँटा हुआ था। दोनों में मनमुटाव के कारण शीत युद्ध चल रहा था। भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपने आपको गुटनिरपेक्ष देश रखा जो दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता करता है।

3. सैन्य क्षमता

मतभेदों में बल प्रयोग अंतिम तौर पर किया जाता है, लेकिन जिस देश के पास भारी एवं सुसज्जित सैन्य बल होता है उसे विष्व स्तर पर अन्य खिलाड़ियों से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार सैन्य क्षमता विदेश नीति निर्णय का एक कारक है। एक सैन्य रूप से सशक्त देश इस दृष्टिकोण से अक्षम देशों की अपेक्षा विश्वासपूर्ण एवं कठोर निर्णय ले सकता है।

4. आर्थिक शक्ति

आज, पूर्व की अपेक्षा, आर्थिक प्रगति का स्तर एक देश को इसके विदेश नीति निर्णयों में बेहद प्रभावी बनाती है। आज कोई देश बेहद कमजोर अपनी सैन्य क्षमता की वजह से नहीं अपितु आर्थिक कमजोरी के कारण कहा या माना जाता है। अमीर देश सीमा पार भी अपने हित रखते हैं, और अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए उनका संरक्षण करते हैं। इस बात का कोई आशय नहीं है कि जो देष औद्योगिक रूप से अग्रणी है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रभुत्व रखता है, आवश्यक रूप से सैन्य तौर पर भी सशक्त हो (सैन्य शक्ति अधिकाशतः आर्थिक क्षमताओं पर निर्भर करती है)।

5. ऐतिहासिक परम्पराएं

भारत की विदेश नीति सदैव शांतिप्रिय रही है। भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास है। आज तक भारत ने किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। यहीं परंपरा वर्तमान विदेश नीति में देखी जा सकती है।

6. राष्ट्रीय हित

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है।

भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत

1. गुट निरपेक्षता

विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न अलगाववादी बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है।

2. साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा। अत उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाता रहा है। आज भी भारत नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। इण्डोनेशिया, लीबिया, नामीबिया आदि साम्राज्यवाद से ब्रस्त देश हैं।

3. नस्लवादी भेदभाव का विरोध

भारत सभी नस्लों की समानता में विश्वास रखता है। अपनी स्वतंत्रता के पहले भारत दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति पार्थक्य नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर प्रश्न उठाता रहा है। भारत ने जर्मनी की नाजीवादी नीति का भी विरोध किया। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में नस्लवाद की पूर्ण समाप्ति भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है।

4. पंचशील

पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। पंचशील संस्कृत के दो शब्द पंच और शील से बना है।

पंच का अर्थ है पाँच और शील का अर्थ है आचरण के नियम अर्थात् आचरण के पाँच नियम जो निम्न हैं:

- i- एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और संप्रभुता का आदर।
- ii- अनाक्रमण।
- iii- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप।
- iv- समानता और पारस्परिक लाभ।
- v- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

5. विश्व शांति के लिए समर्थन

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में से है। वह विश्व शांति के लिए कार्य करता है। आई०एल०ओ०, यूनीसेफ, एफ०ए०ओ०, यूनेस्को आदि से वह सक्रिय रूप से जुड़ा है। भारत संदैव लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन करता

रहा है।

6. निःशस्त्रीकरण का समर्थन

भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। इसके लिए आवश्यक है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें न बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। केवल निःशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है। निरुशस्त्रीकरण से बचाए धन और साधनों के उपयोग से सभी राष्ट्रों का विकास हो सकता है।

7. परमाणु नीति

भारत परमाणु नीति का युद्ध के लिए प्रयोग करने के विरुद्ध है। भारत अन्तरिक्ष के परमाणुकरण का समर्थन नहीं करता। तथापि वह परमाणु अप्रसार संधि का विरोधी है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित है।

6. सार्क से सहयोग

दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया है। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि राज्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार उक्त सिद्धांतों ने भारत को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता भी की है तथा भारतीय विदेश नीति को गति भी प्रदान की है।

पड़ोसी देशों से भारत के संबंध

भारत एक विशाल देश है, जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा (म्यांमार), श्रीलंका और पाकिस्तान से मिलती हैं। भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा एक से नहीं रहे हैं। यदा कदा समस्याएं भी आती रही हैं।

भारत ने इन समस्याओं को सदैव शांतिपूर्ण ढंग से परस्पर वार्ता से सुलझाने का प्रयास किया है इन्हें सुलझाने में वह किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। देश के आर्थिक विकास और शांति तथा स्थिरता के लिए पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग आवश्यक है।

भारत और चीन

भारत और चीन की सम्यता विश्व की प्राचीनतम सम्यताओं में से है। दोनों देशों के सम्बन्ध हजारों वर्षों पुराने हैं। ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के समय से चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अशोक काल के बाद भारत के अनेक विद्वान चीन गए।

चीनी यात्री भी भारत आते रहे जिनमें फाहान और व्वेनसाँग प्रमुख थे। चीनी विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। वर्तमान काल में 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के परिणामस्वरूप साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। भारत ने चीन में साम्यवादी क्रांति का स्वागत किया और चीन की नई सरकार से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की पहल की जो काफी कुछ सफल भी हुई।

साम्यवादी चीन को सबसे पहले मान्यता देने वालों में भारत प्रमुख था भारत ने संयुक्त

राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने में काफी महत्वपूर्ण पहल की । भारत और चीन ने 1954 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो पंचशील समझौते के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है । पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले इन पाँच सिद्धांतों को दोनों देशों ने स्वीकार किया तथा माना गया कि विश्व के अन्य देशों में भी पारस्परिक संबंधों में इनका पालन करना चाहिए । पर कुछ समय बाद चीन ने भारत-चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया तथा 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया । भारत ने चीन के इस आक्रमण का विरोध किया और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध किया । युद्ध के बाद भारत-चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए और बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे ।

युद्ध के लगभग दो दशकों बाद भारत-चीन संबंधों में सुधार के प्रयत्न दोनों ओर से किए गए । दोनों देशों के बीच जो राजनयिक सम्बन्ध टूट गए थे 1976 में उन्हें पुनरु स्थापित किया गया । दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं प्रारंभ की गई । वर्तमान में दोनों देशों के बीच अनेक आर्थिक व्यापारिक और राजनीतिक समझौते हुए हैं पर सीमा विवाद अभी भी भारत-चीन संबंधों में अनसुलझा है, उसे सुलझाने के बांतिपूर्ण प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

भारत और नेपाल

नेपाल, भारत के उत्तर में स्थित है । अभी तक यह एकमात्र हिन्दू राष्ट्र था पर अक्टूबर 2006 में नेपाल में राजा के विरोध में हुए सत्ता संघर्ष के बाद यह हिन्दू राष्ट्र नहीं रहा । भारत और नेपाल की सीमाएं उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर मिलती हैं । नेपाल के साथ भारत के संबंध परम्परागत हैं । यह प्रसिद्ध है कि नेपाल माता सीता तथा गौतमबुद्ध की जन्मस्थली है । पशुपतिनाथ का शिव मंदिर नेपाल में स्थित है, जो भारतीयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है । भारत और नेपाल के राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी मजबूत हैं । भारत ने विकास योजनाओं के लिए नेपाल को 8 करोड़ का अनुदान दिया । नेपाल के बीच 1974 में औद्योगिक व तकनीकी सहयोग बनाने के लिए समझौता किया इस प्रकार भारत ने नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफी सहयोग दिया है । भारत ने नेपाल में 204 किलोमीटर लम्बे पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, जो महेन्द्र मार्ग कहलाता है के निर्माण में 50 करोड़ रुपया नेपाल को दिया । वीर अस्पताल का बाह्य रोगी विभाग भी भारत के सहयोग से बना । 1950 में भारत ने नेपाल के साथ व्यापारिक सन्धि की है । भारत ने नेपाल को समुद्र मार्ग की सुविधा दी है ।

भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की विशेष स्थिति है । नेपाल, चीन और भारत के बीच स्थित है । 1950 में भारत-नेपाल के बीच हुई संधि के अनुसार भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र आयातित करने की सुविधा देगा । दोनों देशों के नागरिक स्वतंत्र रूप से एक-दूसरे के देश में आ जा सकते हैं । नेपाल में सामन्तशाही व्यवस्था समाप्त करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी । नेपाल से बहुत से विद्यार्थी भारत में अध्ययन करने के लिए आते रहे हैं । नेपाल में अक्टूबर 2006 में सत्ता परिवर्तन हुआ । इस सत्ता परिवर्तन के परिणामस्वरूप राजा का पद समाप्त कर दिया गया और वहाँ पूर्ण प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित हुई । वर्तमान में नेपाल में नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू है । सत्ता परिवर्तन के बाद भी भारत-नेपाल संबंधों में कोई बदलाव नहीं

आया है।

भारत और भूटान

भूटान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित छोटा—सा देश है। भूटान के उत्तर में तिब्बत पश्चिम पूर्व में तथा दक्षिण में भारत है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 53 हजार वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी अधिकांशत बौद्ध धर्म का पालन करने वाली है।

भारत, भूटान के संबंध वैसे ही परम्परागत हैं, जैसे कि भारत—नेपाल के हैं। पहले भूटान का एक बड़ा भाग भारत की सीमाओं में ही था और सातवीं शताब्दी तक भारतीय शासक उस क्षेत्र में शासनाध्यक्ष थे। भूटान की धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध भिक्षु पद्मसम्भव का विशेष स्थान है। पद्मसम्भव ने ही भूटान की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। भूटान के लोग इन्हें आज भी अपना गुरु मानते हैं। भारत—भूटान व्यापारिक और आर्थिक संबंध काफी पुराने हैं। भूटान से रेशमी कपड़ा और सुपारी खरीदी जाती थी। 1910 में 'सिनचुला संधि' हुई इसी संधि के आधार पर भारत—भूटान बने।

1949 में 'भारत—भूटान संधि' पुन हुई जिसमें यह स्वीकार किया गया कि भूटान की प्रतिरक्षा का दायित्व भारत का है। भूटान के आर्थिक विकास में भारत पूरी तरह सहयोग कर रहा है। सितम्बर 1961 में जल टंका नदी के संबंध में भारत—भूटान समझौता हुआ।

आज इस नदी पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू भारत के सहयोग से आधुनिक नगर बनी। भारत ने वहाँ की सड़कों का आधुनिकीकरण किया। भूटान में भारत ने पेनडेना सीमेंट संयंत्र के लिए 13 करोड़ की आर्थिक सहायता दी।

भारत और पाकिस्तान

पाकिस्तान का निर्माण भारत विभाजन के परिणामस्वरूप 14—15 अगस्त 1947 की रात्रि में हुआ। दोनों देश ऐतिहासिक भौगोलिक सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से सभी बातों में समान हैं परन्तु विभाजन के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच प्रारंभिक समय में तो सम्पत्ति, सीमा, नदी जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर विवाद चलते रहे किन्तु शीघ्र ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद प्रारंभ हो गए।

कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ ही दिनों के बाद प्रारंभ हो गया। इस विवाद के चलते पाकिस्तान ने चार बार भारत पर सैनिक आक्रमण भी किया। पहली बार अक्टूबर 1947 में सीमावर्ती कबाइलियों को भड़काकर तथा उन्हें सैनिक सहायता उपलब्ध कराकर कश्मीर पर आक्रमण करवाया। दूसरी बार सितम्बर 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया। तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय में कश्मीर पर आक्रमण किया। चौथी बार 1999 में पुनरु पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया जो 'कारगिल युद्ध' के नाम से मशहूर है। चारों आक्रमणों का उद्देश्य सैन्य शक्ति द्वारा कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित करना था पर चारों बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमणों को असफल कर दिया। पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति प्रारंभ से ही शांतिपूर्ण वार्ताओं और समझौतों द्वारा पारस्परिक समस्याओं के सुलझाने की रही है। इस दृष्टि से भारत

ने राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक आदान—प्रदान के क्षेत्रों का विस्तार करके कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दोनों देशों ने समझौतों द्वारा इस दिशा में पहल भी की है। सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों का आदान—प्रदान, खेल—कूद के क्षेत्र में दोनों देशों में प्रतियोगिताओं का आयोजन और दोनों देशों के पत्रकारों और लेखकों का एक—दूसरे के देश में आना—जाना प्रारंभ हुआ है। दोनों देशों की जनता एक ही रही है। अनेक परिवार दोनों देशों में बसे हैं।

विवाह संबंध भी दोनों देशों में है जनता के स्तर पर आवागमन की दृष्टि से दोनों देशों ने समझौते किए हैं तथा कई सड़क और रेल यातायात जो वर्षों से बंद पड़े थे अब खोल दिए गए हैं। दोनों देशों में आर्थिक और व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। दोनों देश सार्क और साफा के सदस्य हैं।

भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दोस्ती और तनाव के रहे हैं। पाकिस्तान के कई कार्यों को भारत पसन्द नहीं करता। पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण, सहायता और शस्त्र उपलब्ध कराता रहा है। भारत के कई आतंकवादी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जिनकी सूची भी भारत ने पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है तथापि पाकिस्तान इन्हें भारत को सौंप नहीं रहा है। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर सदैव भारत की आलोचना करता रहा है तथा कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। भारत भी पाकिस्तान के द्वारा इन प्रयत्नों का विरोध करता रहा है। दोनों देश आणविक शक्ति हैं। दोनों देशों का सम्मिलित रूप से विश्व शांति के लिए कार्य करना आवश्यक है। भारत ने इस दिशा में पहल की है।

भारत और बांग्लादेश

1947 के भारत विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के रूप में (बांग्लादेश) पाकिस्तान का भाग था। शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए आन्दोलन किया और अन्ततः 1971 में इस आन्दोलन को सफलता मिली और स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत ने बांग्लादेश की स्थापना में ऐतिहासिक सहयोग दिया। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था। बांग्लादेश की स्थापना के बाद भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक संकट भुखमरी बेरोजगारी आदि से निपटने के लिए पूरी सहायता दी। जनवरी 1972 में भारत ने 25 करोड़ के खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं और 50 लाख पौण्ड की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्रदान की। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई जो ऐतिहासिक थी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक आर्थिक समझौते भी हुए तथा संयुक्त नदी आयोग स्थापित किया गया।

भारत बांग्लादेश के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हैं। फरक्का बांध समस्या उनमें से एक है। इसके अलावा घुसपैठियों की समस्या भी प्रमुख है। घुसपैठ के कारण भारत के समुख सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई है। चकमा आदिवासियों तथा दोनों देशों की सीमा पर कांटेदार बागड़ लगाने के मामले में भी मतभेद हैं। नया मुद्दा बांग्लादेश से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। भारत—बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव तत्पर रहा है।

भारत और श्रीलंका

भारत के दक्षिण में चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत से श्रीलंका के धनिष्ठ संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भगवान् राम और उनके बाद सम्राट् अशोक के काल में भारत—श्रीलंका संबंध प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी है। अशोक के पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी तभी से श्रीलंका प्रमुख बौद्ध धर्मावलंबी देश है।

श्रीलंका भी भारत के समान विदेशी साम्राज्यवादियों का शिकार बना था। यहाँ पुर्तगाली डच और बाद में ब्रिटिश शासन रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फरवरी 1948 को यह स्वतंत्र राज्य बना। भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता, प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करने की घोषणा की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी श्रीलंका ने त्रिकोमाली का नौ सैनिक अड्डा तथा कटुनायक का हवाई अड्डा ब्रिटेन के नियंत्रण में रहने दिया। बहुत से भारतीय नागरिक विशेषत तमिलनाडु के लोग श्रीलंका जाकर बस गए हैं तथा वहाँ चाय और रबड़ के बागानों में कार्य करते हैं। श्रीलंका के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी भारत—श्रीलंका के साथ पारस्परिक सहयोग और सहायता की नीति का अनुसरण करता रहा है। यद्यपि भारत—श्रीलंका संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ हैं, तथापि दोनों देशों के बीच कुछ समस्याएं भी हैं। दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या है श्रीलंका में बसे भारतीय मूल के रहने वालों की। ये भारतीय मूल के निवासी ब्रिटिश शासन काल से ही रबर और चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका जाते रहे हैं और वहाँ बसते रहे हैं। प्रारंभिक काल में तो कोई समस्या नहीं थी पर श्रीलंका के स्वाधीन होने के बाद श्रीलंका नागरिकता नियम 1948 तथा श्रीलंका संसदीय नियम 1949 के द्वारा अधिकांशत प्रवासी भारतवंशियों को नागरिकता और मताधिकार से वंचित कर दिया गया। हाल के कुछ वर्षों में श्रीलंका में उत्पन्न जातीय संघर्ष भारत के लिए चिन्ता का कारण बन गया है। श्रीलंका में बसे तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है। अधिकांश तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। श्रीलंका में तमिल लोगों का बहुत बड़ा वर्ग पृथक तमिल राज्य की माँग करता रहा है। यही तमिल समस्या है। तमिल समस्या के कारण भारत और श्रीलंका में तनाव की स्थिति बनी है। समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने कई प्रकार से सहायता की है। जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जातीय समस्या को सुलझाने के लिए 'भारतीय शांति सेना' भेजकर सहायता दी थी।

भारत और म्यांमार (बर्मा)

म्यांमार (बर्मा) भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी देश है। भारत के म्यांमार से परम्परागत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए समझौते किए गए हैं। दोनों देशों के बीच तस्करी की समस्या अवश्य है। अवैध रूप से सीमाओं को पार करने की घटनाएं होती रही हैं।

1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे उस समय भारत और म्यांमार के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अवैध कार्यों को नियंत्रित करने में एक—दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग

करने का संकल्प किया था । वर्तमान में भारत स्यांमार संबंध सामान्यतरु मैत्रीपूर्ण हैं ।

एक प्रजातांत्रिक देश की विदेश नीति को जनता का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है । वह दृढ़ समर्थन जिसे झूठे प्रचार, तथ्यों आदि से नष्ट नहीं किया जा सके । जनता द्वारा मान्य प्रतिनिधियाँ की सहमति से ही विदेश नीति तैयार की जानी चाहिए ।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा होती है । प्रत्येक राष्ट्र दूसरे को अपना विरोधी समझता है । परन्तु राष्ट्रों के मतभेद का प्रमुख कारण उनके सिद्धांतों, नीतियों में अन्तर होना है । राष्ट्रीय विषयों की अपेक्षा अन्तरराष्ट्रीय विषयों में बढ़—बढ़ कर भाग लेने का महत्व अधिक है क्योंकि जब एक नेता किसी विशेष अंतरराष्ट्रीय स्थिति में अपने विचार प्रकट करता है तो उसके निर्णय को तब अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से परखा जाता है । किसी देश की विदेश नीति राष्ट्र—कल्याण पर आधारित होनी चाहिए । वह कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका के प्रभुत्व से मुक्त होनी चाहिए । उन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए जिससे हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें । इस प्रकार आज के युग में विदेश नीति की महत्ता बहुत अधिक है ।

संदर्भ

1-<https://hi.wikipedia.org/wiki>

2-<http://www-essaysinhindi-com/india/leadership>

3- “Indian economic growth rate eases भारत की आर्थिक विकास दर संतोशपरक, ^१ (अंग्रेजी में). बीबीसी न्यूज. ३० नवम्बर २००७. अभिगमन तिथि २४ जून २०१४.

4. “The Non&Aligned Movement: Description and History” ^२nam-gov-za /^३The Non&Aligned Movement), 21 सितंबर 2001, अभिगमन तिथि 23 अगस्त 2007

5.India’s negotiation positions at the WTO] November 2005, अभिगमन तिथिरु 23 अगस्त 2010

6. “Amid BRICS’ rise and ‘Arab Spring’] a new global order forms”- Christian Science Monitor- 18 vDVwvj 2011- Retrieved 2011&10&20-

7.http://www-un-int/india/india_and_the_un_pkeeping-html

8- “भारत की 37 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि है”- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 12 फरवरी 2014. अभिगमन तिथि 13 फरवरी 2014.

9.“ndia has EÚtradition Treaties in operation with 37 countries”- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 12 फरवरी 2014. अभिगमन तिथि 13 फरवरी 2014.

10. “From potol dorma to Jaya no&show: The definitive guide to Modi*s swearing in” (अंग्रेजी में). फरवरी २०१४. अभिगमन तिथि २६ मई २०१४.

11. उप्पुलुरी, कृष्ण (२५ मई २०१४). “Narendra Modi*s swearing in offers a new lease of life to SAARC” (अंग्रेजी में). नई दिल्लीरु डीएनए इण्डिया. अभिगमन तिथि २६ मई २०१४.

12. Gilbert Martin ^४17 fnlEcj 2002] A History of the Twentieth Century: The Concise

भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देश

डॉ० जय कुमार सरोहा

Edition of the Acclaimed World History, HarperCollins, प० 486द्वे487, आई०स०बी०न० 9780060505943, अभिगमन तिथि 22 जुलाई 2011

13. <http://hindi-economictimes-indiatimes-com 28640728-cms> <http://navbharattimes-indiatimes- com/india/national&india/us&envoy&nancy&powell& meets&gujarat& chief& minister/articleshow/30326660-cms>

14. ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 5 सितंबर 2014. अभिगमन तिथिरू 6 सितंबर 2014.

15. ऑस्ट्रेलिया से न्यूकिलयर डील पर बन गई बातश. नवभारत टाईम्स. 5 सितंबर 2014. अभिगमन तिथि 6 सितंबर 2014.

16. दंगों के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं ऑस्ट्रेलियाई नवभारत टाईम्स. 5 सितंबर 2014. अभिगमन तिथि 6 सितंबर 2014.

17. विदेश नीति का मनमोहन सिद्धांत (डॉ० वेद प्रताप वैदिक)